

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र
अनवान तहसीलदार

बनाम

संख्या :-103/2019
कमलादेवी वगैराह।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
7.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-बांकास, पटवार हल्का फालका, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5 व 161/6 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरो में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम बांकास पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5 व 161/6 कुल रकबा 27-11 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>पटवारी हल्का फालका ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि मौजा-बांकास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5 व 161/6 कुल रकबा 27-11 बीघा भूमि के रूप में खातेदारान् के नाम वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार मौका स्थिति में भिन्नता हैं। उक्त भिन्नता को दूर करने के लिए इन सभी खसरों का मूल खसरा नम्बर 161 रकबा 27-11 बीघा में विलय करना उचित बताया, उक्त विलय के लिए सभी खसरों के खातेदारों ने अपनी सहमति दी है। तदनुसार पटवारी हल्का फालका भू.अ.निरीक्षक आ.कालू एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया। तथा यह भी आग्रह किया गया कि उक्तानुसार दुरुस्ती से DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के कार्य निष्पादन में भी सुविधा होगी।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथा संबंधित खसरों के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/सहमति पत्र पर भी गौर किया गया तो पाया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा विलयकरण की शुद्धि करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा-बांकास पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण में स्थित भूमि ख.न. 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5 व 161/6 जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का-फालका, भू.अ.निरीक्षक आ.कालू एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकॉर्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार विलय कर मूल खसरा नम्बर 161 रकबा 27-11 बीघा का इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा कोई भी खातेदार इस बाबत किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दायिगल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>168 12/2/20</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

